

प्रेषक,

जिलाधिकारी, मेरठ /  
मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा  
गठित समिति में नामित सदस्य।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल  
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,  
नई दिल्ली।

पत्रांक 4598 /ओ0एस0डी0-कैम्प / 2025

दिनांक 17-01-2025

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0-238 /2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 की अनुपालन मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0-238 /2024 में दिनांक 09.08.2024 द्वारा एक संयुक्त जॉच समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में (1)मुख्यसचिव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या उनके प्रतिनिधि, (2) वरिष्ठ साईन्टिस (जोकि संयुक्त सचिव स्तर से भिन्न न हो) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, (3) डायरेक्टर भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार, (4) जिलाधिकारी मेरठ को कोर्डिनेटिंग एजेन्सी के रूप में नामित किया गया। मुख्यसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपर मुख्यसचिव/ प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश शासन को नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा साईन्टिस जी श्री रघु कुमार कोदाली को नामित किया गया। डायरेक्टर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा फील्ड विजिट एवं मीटिंग के लिए संयुक्त निदेशक, श्रीमती मीरा अय्यर को नामित किया गया। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 09.09.2024 एवं दिनांक 08.12.2024 को प्रस्तावित कांवड़ मार्ग पर फील्ड विजिट की गयी एवं उक्त पर विचार-विमर्श हेतु निरन्तर अंतराल पर फिजिकल/ वचुअल बैठक की गयी, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा समिति की रिपोर्ट पर मत स्थिर किया गया। सभी फील्ड विजिट एवं मीटिंग में भारतीय वन सर्वेक्षण की ओर से संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। विचारोंपरान्त अन्तिम आख्या रिपोर्ट दिनांक 19.12.2024 को सभी सदस्यों को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम आख्या रिपोर्ट को समिति के सदस्यों (1) प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, (2) साईन्टिस जी श्री रघु कुमार कोदाली, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, एवं (3) जिलाधिकारी मेरठ कोर्डिनेटिंग एजेन्सी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से सर्वे आफ इण्डिया से सम्बन्धित डाटा हेतु अनुरोध किया गया, जिस सम्बन्ध में उन्हें वस्तुस्थिति से दिनांक 02.01.2025 द्वारा एवं वार्ता कर अवगत करा दिया गया। दिनांक 17.01.2025 तक भी डायरेक्टर निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण / संयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः उक्त परिस्थिति में मा0 न्यायालय के आदेशों के ससमय अनुपालन हेतु संयुक्त समिति की रिपोर्ट 03 सदस्यों के हस्ताक्षर से मा0 न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

1902

कृपया उक्त रिपोर्ट मा० न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भेषदीय,

  
17/1/2025

जिलाधिकारी, मेरठ /

मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा  
नामित समिति में नामित सदस्य।

**Final report of the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT by order dated 09/08/20204 in OA No 238/2024 Chaudhary Charan singh Kanwad marg case**

Joint committee has already submitted two interim reports on dated 03/10/2024 & 23/11/2024 in the compliance of Hon'ble NGT order .This report includes the progress submitted in its earlier two reports dated 03/10/2024 and 23/11/2024, respectively.

Joint Committee has conducted preliminary field visit of proposed CCS kanwad marg project site on 09/09/2024 and final field visit on dated 08/12/2024 of entire stretch covering Ghaziabad, Meerut and Muzaffarnagar.

**Point wise final report of Joint Committee is following:-**

Query No.	Query/Point	Observations of JointCommittee
1,2 & 5	<p><b><u>Point-1:-</u></b> 1.The Committee will visit the site, ascertain the allegation in respect of illegal felling of trees and will also ascertain if the figures relating to felling of trees till now as disclosed before the Tribunal are correct or the trees in excess of those have been cut.</p> <p><b><u>Point-2:-</u></b> 2.The Committee will also ascertain the width of the stretch which has been cleared by cutting the trees at different places at an interval of 5 km.</p> <p><b><u>Point-5:-</u></b> 5.The Committee will also ascertain if the construction of road or clearing of trees for the purpose of road has exceeded permissible width of 15/20 meters.</p>	<p><b><u>Final report of committee Regarding Point No. 1,2 and 5:-</u></b></p> <p>SOI has submitted its affidavit/compliance report dated 21-11-2024 in which the highlighted portion in the table starting from page no. 1491 depicts the area and the map no. wherein the tree felling has taken place beyond the permissible 20mt width. The report has mentioned 33 places with GPS coordinates. PWD in its reply dated 19/12/2024has clarified the status of felling in these 33 locations and has claimed all the tree/plant felling to be within the permissible 20 mt. width .(Annexure-1)</p> <p>Joint Committee meeting held on 18-11-2024 (minutes of meeting attached) and subsequently vide order no. 4427/OSD camp/2024, dated-18-11-2024 (Annexure-2) constituted district level four members sub-committees [ADM(E), BDOs/EO, SDO(F), technical member from FSI] for districts of Ghaziabad, Meerut and Muzaffarnagar. These sub committees were to assist the joint committee in the field survey and ascertain whether any illegal tree felling has taken place beyond the permissible limit. Sub committees were mandated to visit site and assess for every 01 km interval whether tree felling has been done with in permissible limit of 15/20 mts width or not. Subsequently Joint Committee in compliance to the order of hon'ble NGT would carry out a field visit and cross verify sub committees reportat every five kilometre locations.</p> <p>These sub committees have submitted their reports on 20-11-2024, 21-11-2024 and 22-11-2024 (Annexure-3) for Meerut, Ghaziabad and Muzaffarnagar respectively. PWD has worked up tree cutting in around 62 kms out of 111.49 kms stretch and remaining approx 40 km stretch remains untouched.</p> <p>The sub committees have inspected total 102 locations at every 01 km interval to ascertain the width of tree/plants cutting by PWD and have mentioned that all tree felling by PWD is within the permissible limit of 15/20 mts.</p> <p>As per the NGT direction, Joint committee was to ascertain the status of tree felling in 62 km stretch in three districts at 5 km interval which amounts to approx</p>

1

		<p>12 locations.</p> <p>Joint Committee has inspected the Kanwad marg on 08-12-2024 and ascertained the tree felling status on 21 locations including two locations covered by Sub-committees and ten locations in which SOI has highlighted possible felling beyond 20 mts.</p> <p>During the Joint Committee visit no illegal felling was noticed. All the tree/plants cutting was within the permissible limit of 15/20 mts. The Committee interacted and discussed the issue with the locals at several locations to ascertain and cross check the facts. <b>The details are annexed herewith.</b></p> <p>As per the data provided by PWD and verified by UPFC (already submitted in interim report by Joint Committee reference judicial page no 1234-1252) , a total of 17607 trees have been felled along with clear felling of plant/saplings/shrubs in the approved ROW in the worked up area( <b>Annexure 4</b>). The same has been mentioned in the interim report dated 03/10/2024 by joint committee. No felling by PWD has been reported after 09-08-2024.</p> <p>Committee has not noticed any anomaly in the tree cutting data submitted by PWD . No excess or illegal tree felling was noticed by Joint Committee during the field visits and its enquiry thereon.</p>
3&4	<p><b>Point-3:-</b> 3.The Committee will ascertain if the alternate route exists and without unnecessary felling of trees some solution can be find out.</p> <p><b>Point-4:-</b> 4.The Committee will also ascertain the feasibility of this road especially in view of the stand of State of Uttarakhand before the Tribunal that no road connecting this road will be constructed in the State of Uttarakhand.</p>	<p><b>Final report regarding Point No. 3 and 4:-</b></p> <p>Joint Committee has conducted the field visits on site dated 09/09/2024 and 08/12/2024 and held meetings on 09/09/2024, 17/09/2024 and 18/11/2024. The committee has sought information and documents from PWD, Irrigation Department, UPPCB, UPFC, CPCB etc. After due consideration and deliberations on the matter, the joint committee has observed that around 60 % of the trees/plants/pole felling has been carried out along with clearance of the proposed road site. The proposed road will also augment the available roads in the densely populated Western Uttar Pradesh. Presently an NOC from the Irrigation Department , Uttar Pradesh is under consideration for constructing the kanwad marg on the right bank of Upper ganga canal after leaving 2 metre dawla (dwarf bund). Such a lateral shift in the road alignment of 7.5 metres towards the canal will save substantial number of trees/plants. Also on the stretches of RoW where clear felling has been already carried out, a suitable strip plantation of environmentally &amp; ecologically beneficial species can be undertaken to regain the green cover.</p> <p>Committee is of the view since a large part of the tree/plants felling has already been done along with the site preparation for the construction of the road , it is suggested that owing to high density traffic in the western UP , the proposed road may be constructed . Also lateral shift in the road alignment shall further reduce the number of tree felling. This can be the feasible alternative in the light of the present circumstances.</p>

6	<p><b>Point-6:-</b>  <b>6.The Committee will also ascertain the extent of environmental damage on account of construction of the road.</b></p>	<p><b>Final report regarding Point No. 06:-</b></p> <p>PWD has submitted an EIA &amp; EMP report along with a carbon assessment report for the kanwad marg project prepared by Centre for envotech &amp; management consultancy pvt ltd, an environment consultant engaged by PWD.</p> <p>RO UPPCB has provided its findings and conclusion on EIA/EMP report study (Annexure-5) regarding kanwad marg. The report by UPPCB mentions some of the important findings of the study are as follows:</p> <p>-</p> <p>" 1. The loss to bio-diversity is reversible as no rare plant or animal species are going to be affected by the present project.</p> <p>2. The proposed alignment is not passing through any Wildlife Sanctuary or National Park or its eco sensitive zone.</p> <p>3. The proposed project road requires diversion of 222.98 ha of protected forest land. Forest Clearance proposal No. FP/UP/ROAD/121197/2021 for 222.98 Ha of Land is submitted; Approval is granted in Meeting of Regional Empowered Committee, REC (MoEF &amp; CC) on 20th February 2023.</p> <p>4. Any Protected archaeological site/monuments by the Archaeological Survey of India (ASI) are not falling within the ROW of proposed project road.</p> <p>5. The most important factors, which need continuous attention and assessment during the construction phase, are the ambient air quality, the water quality and the noise level. The ambient air quality of the study area is good. A noise level in the area is also below the limit.</p> <p>6. Total 112722 nos. of trees/plants to be affected in the proposed project out of which 16873 nos. of trees/plants in Muzaffarnagar district, 66685 nos. of trees/plants in Meerut district and remaining 29164 nos. of trees/plants in Ghaziabad district. 484720 saplings will be planted in the districts/forest divisions other than the project and 21028 saplings will plant in the Meerut district/forest division around the project, i.e. a total of 505748 plants will be planted and their 10 years annual maintenance work will be completed by the Forest Department.</p> <p>7. Additional 50000 nos. of sapling plantation is proposed to be planted (especially in Muzaffarnagar and Ghaziabad districts) along the project road to maintain the ecological balance of the project road.</p> <p>8. PWD has already deposited Rs. 28,60,03,304 to the forest department for Compensatory afforestation planation nearby projects site of</p>
---	--	--

1

Meerut, Muzaffarnagar & Ghaziabad, Compensatory Afforestation paid by PWD to UP Forest Department in UP CAMPA Fund and Additional Compensatory Afforestation in form of Artificial Natural Regeneration (ANR) in district Lalitpur.

9. In addition to the above cost, an additional amount of Rs. 3,90,00,000 (Three crores Ninety Lakhs only) has been proposed as environmental protection measures during the balance work of construction and 5 years post construction which is to be implemented by the PWD from the third party."

As the Forest clearance for felling of trees includes the Net Present Value (NPV) and compensatory afforestation which comprises of services and ecological value of the forests, it is advised to implement the Environmental Management Plan to mitigate any kind of adverse effects."


The Committee advised PWD to implement the Environment Management Plan in-toto to mitigate any kind of adverse effects. PWD has also to monitor Air quality , water quality , Noise Quality and Soil quality during construction/ operation stage of the project with a cost of Rs 7.96 lakh per year as mentioned in EIA/EMP report .

It is also pertinent to mention that PWD has deposited Rs. 58.23 crores in compliance of NPV, Compensatory afforestation etc. The details for the same have already submitted in hon'ble tribunal by the PWD & UPFD.

UPPCB has provided a report highlighting extent of environmental damage on account of construction of the road and has recommended that environmental compensation of Rs 29,85,000/- for the violation of dust mitigation provisions may be imposed.( Annexure -5 )

PWD vide letter no. 2044/ kanwadmarg/ dated 19/12/2024 has certified that *it shall ensure implementation of all directions of Hon'ble NGT court regarding EIA/EMP Mitigation measures / environmental improvement suggestions/ additional plantation etc . (Annexure-6)*

Joint committee after due deliberations is of opinion that environmental compensation of Rs. 29.85 lacs for violation of dust mitigation measures



		<p>may be imposed on the user agency in addition to the costs of a suitable additional plantation of native species in case already deforested strips on the right bank of upper ganga canal are made available for afforestation after the re-alignment/lateral shift of the proposed road towards the canal.</p> <p>PWD has expressed its consent to carry out the implementation of any direction given by hon'ble tribunal to this effect.</p> <p>It is recommended that the implementation of EIA/EMP provisions be monitored regularly by UPPCB and additional plantation activity as committed by PWD to be monitored by Uttar Pradesh Forest department.</p>
--	--	--

  
Deepak Meena  
Raghu Kumar Kodali

Meera Iyer

  
Anil Kumar

मा0 हरित न्यायाधिकरण दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में दिनांक 08.12.2024 को संयुक्त जाँच समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

क्र० सं०	जनपद	चैनेज	जी०पी०एस०.	चौड़ाई दूरी (मी०में)	जाँच के दौरान स्थान का नाम/मौके पर मिले व्यक्तियों का विवरण	अभ्युक्ति
1	गाजियाबाद	159+690	Lat 28.813477 Long 77.516048	12.5		
2	गाजियाबाद	157+100	Lat 28.834691 Long 77.51617	14.5	गांव-सौदा	S.O.I. की रिपोर्ट दि०23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 22.2 मी०
3	गाजियाबाद	156+900	Lat 28.837422 Long 77.51649	14.0	गांव-सौदा	S.O.I. की रिपोर्ट दि०23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 24.4 मी०
4	गाजियाबाद	156+550	Lat 28.837422 Long 77.516449	13.0	श्री सुधीर त्यागी, ग्राम-दिदौली- 6398352932 श्री सुभग त्यागी, ग्राम-दिदौली - 9389329554 श्री मोनू, ग्राम-उजाड़ा- 7838457432	
5	मेरठ	150+065	Lat 28.898917 Long 77.529956	14.20		
6	मेरठ	146+440	Lat 28.930806 Long 77.537088	13.10		
7	मेरठ	129+610	Lat 29.073768 Long 77.596287	14.0	गांव-भल्सौना	
8	मेरठ	126+986	Lat 28.837475 Long 77.516498	16.0	श्री अफजल, ग्राम नानू श्री राशिद, ग्राम नानू -9557716662 श्री अनीस, ग्राम नानू	
9	मेरठ	125+580	Lat 29.107612 Long 77.610886	15.0	गांव-बददरुदीननगर नानू	
10	मेरठ	120+667	Lat 29.147835 Long 77.633998	14.0	गांव-सरधना रुरल	
11	मेरठ	117+098	Lat 29.176566 Long 77.650582	19.0	गांव- ख्वाजापुर कुशावली	S.O.I. की रिपोर्ट दि०23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 27.3 मी०
12	मेरठ	116+660	Lat 29.188395 Long 77.657437	14.0	श्री प्रेम ग्राम दौलतपुर- 9927856465 श्री केश शर्मा ग्राम -दौलतपुर	
13	मेरठ	110+650	Lat 29.188395 Long 77.657437	15.0	श्री राम कुमार ग्राम सटेरी - 9412887755 श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम लहौड़ड़ा -9012559616 दौलतपुर	
14	मुजफ्फरनगर	105-800	Lat 29.262961 Long 77.705864	15.90	गांव-लौहरा	S.O.I. की रिपोर्ट दि०23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 22.1 मी०

# 1909

15	मुजफ्फरनगर	101+700	Lat 29.291954 Long 77.731483	15.0	गांव- खतौली	S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 29.8 मी०
16	मुजफ्फरनगर	101+650	Lat 29.291156 Long 77.730901	15.0	गांव- खतौली	S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 22.5 मी०
17	मुजफ्फरनगर	095+300	Lat 29.338576 Long 77.773111	14.30		
18	मुजफ्फरनगर	072+060	Lat 29.514029 Long 77.877127	15.0		S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 21.6 मी०
19	मुजफ्फरनगर	061+900	Lat 29.602310 Long 77.879230	14.50		S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 23.20 मी०
20	मुजफ्फरनगर	060+800	Lat 29.611288 Long 77.877757	19.50		S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 21.9 मी०
21	मुजफ्फरनगर	061+900	Lat 29.602310 Long 77.879230	14.50		S.O.I. की रिपोर्ट दि० 23.11.2024 के अनुसार चौड़ाई 21.6 मी०

# 1910 GPS Photos of Field Visit










1914







## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ

E-mail- cdpwdmeerut@gmail.com



पत्रांक:- 2044 / कांजड भर्जा (पांच पट्टे)

दिनांक:- 19 / 12 / 2024

सेवा मे,

जिलाधिकारी महोदय  
मेरठ।

विषय- मा० एन०जी०टी० अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०संख्या-238/2024 में परित ओदश दिनांक-09.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-आपके कार्यालय के पत्रांक-4492/ओ०एस०डी०-कैम्प/2024 दिनांक-13.12.2024

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वांछित आख्या मेरठ/सहारनपुर मण्डल से प्राप्त संकलित आख्या संलग्न कर आपको सादर प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(संजय सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता मेरठ क्षेत्र लो०नि०वि०, मेरठ को पत्र दिनांक-16.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त लो०नि०वि०, मेरठ को सूचनार्थ।
- ✓ 3. प्रमागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, मेरठ को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
मेरठ।

## रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, द्वारा ओ0ए0-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में गठित जाँच समिति द्वारा चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग दांयी पटरी निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 21.11.2024 को मा0 न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2023 की सैटेलाइट इमेज को अक्टूबर 2024 की ड्रोन इमेज के साथ Visual Inspection के माध्यम से मार्ग की पूर्ण लम्बाई में पेड़ों के पातन की चौड़ाई हेतु तुलनात्मक विश्लेषण किया गया जिसमें कुल 245 Location में से 33 Location में पेड़ों के पातन की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक दिखाई गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि Judicial Page No-1490 पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अंकित है कि पेड़ों के कटान की चौड़ाई Visual Inspection द्वारा की गयी है, जिसका लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर/निर्माण खण्ड, मेरठ/निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद के खण्डीय स्तर से समस्त 33 स्थानों का स्थलीय सत्यापन एवं कुछ स्थानों पर मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा दिनांक 08.12.2024 को स्थलीय सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-


Sno.	S No. as per SOI Report	Width As per SOI Report (in m)	Latitude	Longitude	Remarks	Photographs
1	21	22.2	28.835655	77.516101	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 14.50 meter. Measurement in SOI Report has been taken up to canopy of tree which is present beyond 20 m limit.	( Page 1,2)
2	22	24.4	28.837248	77.516292	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 14.00 meter. Measurement in SOI Report has been taken up to canopy of tree which is present beyond 20 m limit.	( Page 3,4)
3	36	21.8	28.862419	77.521692	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.50 meter. Measurement in SOI Report has been extend till the canopy of the tree which is beyond 20 m	( Page 5,6)
4	51	21.4	28.93024	77.536804	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and was found 14.50 meter. Trees were not present at this location as per google earth image of 2022.	( Page 7,8)
5	53	22.2	28.934004	77.53762	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and was found 15.00 meter. Trees were not present at this location as per google earth image of 2022.	( Page 9,10)
6	56	22.9	28.940618	77.539563	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 14.00 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 11,12)
7	57	24.8	28.942444	77.540238	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 14.50 meter. Measurement in SOI report has been done in shadow portion where no trees existed.	( Page 13,14)
8	63	28.1	28.949532	77.543186	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.50 meter. . Measurement in SOI Report has been extend till the canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 15,16)
9	66	22	29.063817	77.591978	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.00 meter.	( Page 17,18)
10	70	22.2	29.069723	77.594375	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.00 meter. Measurement in SOI Report has been taken in the shadow area of the tree which has been cut within limit of 20 meter.	( Page 19,20)
11	79	21.5	29.080424	77.599142	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 21,22)

12	86	23.9	29.09417	77.604985	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 20.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 23,24)
13	87	22	29.095218	77.605502	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 16.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 25)
14	102	22.4	29.13437	77.626196	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.50 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 26,27)
15	109	20.7	29.081475	77.59956	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.00 meter. Measurement in SOI Report has been taken over existing tree which is present beyond 20 m limit.	( Page 28)
16	116	23.7	29.160275	77.641293	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.00 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion as evident from google earth image of 2022.	( Page 29,30)
17	123	27.3	29.176566	77.650582	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 19.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 31,32)
18	135	21.8	29.19512	77.66121	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 17.50 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 33,34)
19	145	21.4	29.210979	77.670452	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 17.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 35)
20	146	21.3	29.212187	77.67112	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 36)
21	147	20.1	29.216319	77.673467	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.00 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion.	( Page 37)
22	155	23	29.233064	77.68322	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.50 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion.	( Page 38)
23	163	21.7	29.243875	77.689483	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.50 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion.	( Page 39,40)
24	166	23.5	29.251944	77.696092	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 18.00 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 41)
25	173	22.1	29.262961	77.705864	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 15.90 meter. Measurement in SOI Report has been extended till canopy of the tree which has been cut within limit of 20 m.	( Page 42)
26	187	22.5	29.291156	77.730901	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 15.00 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion.	( Page 43)
27	188	29.8	29.291954	77.731483	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 15.00 meter. Measurement in SOI Report has been extended in the area beyond boundary wall where no tree cutting has been done.	( Page 44)
28	206	22.1	29.338576	77.773111	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 17.00 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 45)


29	214	21.6	29.514029	77.877127	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 15.00 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 46)
30	219	22.1	29.539349	77.879546	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by P.W.D Officials and found 19.00 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 47)
31	231	23.2	29.60231	77.87923	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 14.50 meter. Measurement in SOI Report has been done in shadow portion.	( Page 48)
32	235	21.9	29.611288	77.877757	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 19.50 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 49)
33	239	21.6	29.617763	77.876689	Actual Width of tree cutting at this point has been checked by Hon. NGT committee on dated 08.12.2024 and found 18.50 meter. Measurement taken in the SOI report at this point extend till canopy of the tree which is beyond 20 m.	( Page 50)


अतः उपरोक्त स्थानों के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त समस्त स्थानों पर चौड़ाई 20 मीटर के अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत पायी गयी। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा Visual Inspection से किये गये तुलात्मक विश्लेषण में पेड़ों की Canopy को Consider न करने (क्रमांक स0-36, 56, 63, 79, 86, 87, 102, 123, 135, 145, 146 एवं 173), पेड़ों की परछाई तक चौड़ाई नापने (क्रमांक स0-57, 70, 116, 147, 155, 163, 187 एवं 231) एवं 20 मीटर से बाहर स्थित पेड़ की Canopy को Consider करने (क्रमांक 21, 22, 109, 166, 206, 214, 219, 235, 239) के कारण पेड़ कटान की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक दर्शायी गयी है, जिससे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गयी रिपोर्ट निर्णयात्मक नहीं है। विभाग द्वारा पेड़ों का पातन पूर्ण लम्बाई में 20 मीटर के अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही किया गया है।

सलग्नक:- सर्वे ऑफ इंडिया तुलनात्मक विश्लेषण एवं मूगल अर्थ ईमेज वर्ष 2022।

  
(अनिषक कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,  
मुजफ्फरनगर।


  
(निर्माण)  
अधीक्षण अभियन्ता  
सहारनपुर वृत्त, लो0नि0वि0,  
सहारनपुर


  
(संजय सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
मेरठ।

  
(जगदीश प्रसाद)  
अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0,  
मेरठ

  
(संजय कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य अभियन्ता  
सहारनपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,  
सहारनपुर

  
(राम राजा)  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद।

  
(मनीष वर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता  
पुलान्दरशहर वृत्त, लो0नि0वि0,  
पुलान्दरशहर

  
(एस0ए0 गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता  
मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0,  
मेरठ

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी Environmental Impact Assesment रिपोर्ट के दिये गये Mitigation Measures/पर्यावरणीय सुधार/अतिरिक्त वृक्षारोपण आदि के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0

गाजियाबाद

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

मेरठ

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 238/2024 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 18.11.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे वर्चुअल आयोजित की गयी बैठक का कार्यवृत्त:-

- उपरोक्त बैठक में निम्न विवरण के अनुसार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहें:-
- 1- प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश, शासन(सदस्य)
  - 2- उप निदेशक, फौरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून(सदस्य)
  - 3- साईन्टिस्ट "जी" वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली(सदस्य)
  - 4- जिलाधिकारी मेरठ(कोर्डिनेट सदस्य)

जिलाधिकारी मेरठ द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

नवनियुक्त प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 238/2024 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा वर्तमान तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी।

अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह गंग नहर कावड़ (दायी) पटरी मार्ग निर्माण से सम्बन्धित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.08.2024 को आदेश पारित करते हुए समिति से वॉछित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। समिति द्वारा दिनांक 09.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, तदोपरान्त दिनांक 17.09.2024 को वर्चुअल बैठक की गयी तथा सम्बन्धित विभागों से निम्नवत् बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या की समीक्षा की गयी। समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्व उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या/ रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.10.2024 को समिति की अन्तरिम आख्या /रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। समिति सदस्यों को मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के मुख्य अंश से अवगत कराया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

10- Considering the fact that the seriousness of the issue relating to a public project, the joint committee is expected to complete the exercise as directed expeditiously and submit final report without any delay.

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के क्रम में समिति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है:-



S.No.	Points	Related Departments
1	The Committee will visit the site, ascertain the allegation in respect of illegal felling of trees and will also ascertain if the figures relating to felling of trees till now as disclosed before the Tribunal are correct or the trees in excess of those have been cut.	PWD and Forest Corporation
2	The Committee will also ascertain the width of the stretch which has been cleared by cutting the trees at different places at an interval of 5 km.	PWD
3	The Committee will ascertain if the alternate route exists and without unnecessary felling of trees some solution can be find out.	PWD and Irrigation Department
4	The Committee will also ascertain the feasibility of this road especially in view of the stand of State of Uttarakhand before the Tribunal that no road connecting this road will be constructed in the State of Uttarakhand.	PWD
5	The Committee will also ascertain if the construction of road or clearing of trees for the purpose of road has exceeded permissible width of 15/20 meters.	PWD
6	The Committee will also ascertain the extent of environmental damage on account of construction of the road.	UP Pollution Control Board, central pollution control board

समिति सदस्यों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा समीक्षा में निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

**बिन्दू संख्या-01-** The Committee will visit the site, ascertain the allegation in respect of illegal felling of trees and will also ascertain if the figures relating to felling of trees till now as disclosed before the Tribunal are correct or the trees in excess of those have been cut.

समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व बैठकों में संयुक्त निदेशक, फॉरेस्ट सर्वे इण्डिया द्वारा सेटेलाइट इमेजरी के प्रक्योरमेन्ट एवं विश्लेषण में लगभग 03 माह का समय

लगने का अनुमान बताया गया, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बजट की डिमान्ड प्रस्तुत की जानी थी, जोकि वर्तमान तक नहीं दी गयी है। समिति सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा सर्वे आफ इण्डिया से भी पेड़ कटान की चौड़ाई का आकलन जानने हेतु सेटेलाईट इमेजरी एवं ड्रॉन सर्वे के आधार पर रिपोर्ट चाही गयी है। जिसकारण दोनो संस्थाओं के कार्य में डुप्लीकेसी होगी। अतः संयुक्त निदेशक फौरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया से अपेक्षा की गयी कि बिन्दू संख्या 01 के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम आख्या जल्द से जल्द समिति के साथ सांझा करें, ताकि मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्तिम जॉच आख्या ससमय प्रस्तुत की जा सकें। बिन्दू संख्या 01 के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश वन निगम से जो आख्या मांगी गयी थी, उनके द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

**बिन्दू संख्या-02-** The Committee will also ascertain the width of the stretch which has been cleared by cutting the trees at different places at an interval of 5 km.

**बिन्दू संख्या-05-** The Committee will also ascertain if the construction of road or clearing of trees for the purpose of road has exceeded permissible width of 15/20 meters.

बिन्दू संख्या 02 एवं 05 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक 100 मीटर अन्तराल पर संरेखण का contour mapping and schematic diagram पूर्ण विवरण सहित अनुपालन आख्या दिनांक 08.11.2024 को प्रस्तुत की गयी है, परन्तु शॉपट कापी अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग से पूर्ण सूचना लेकर समिति सदस्यों के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त समिति सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गयी कि प्रत्येक जिले में 01 टीम का गठन किया जाए, जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित क्षेत्र के यथार्थिति खण्ड विकास अधिकारी, अथवा नगरीय क्षेत्र की दशा में सम्बन्धित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित जनपद के उप प्रभागीय वनाधिकारी, संयुक्त निदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार देहरादून द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी की समिति बनायी जाए तथा यह भी अपेक्षा की गयी कि तत्कम में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक 01 कि0मी0 के अन्तराल पर अनुमन्य (permissible) 15/20 मीटर चौड़ाई से अतिरिक्त कटान हुआ या नहीं? इसकी सूचना दिनांक 21.11.2024 तक प्रस्तुत की जाए।

**बिन्दू संख्या-3-** The Committee will ascertain if the alternate route exists and without unnecessary felling of trees some solution can be find out.

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या की कास जॉच कराये जाने की अपेक्षा की गयी, जिसके लिए मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-11-2024 में दिए गए निर्देशों को संज्ञान में रखते हुए, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या में उल्लिखित तथ्यों का आकलन वन विभाग, पुलिस/यातायात विभाग एवं अपर जिलाधिकारी-प्रशासन की समिति से कराया जाए।

**बिन्दू संख्या-4-** The Committee will also ascertain the feasibility of this road especially in view of the stand of State of Uttarakhand before the Tribunal that no road connecting this road will be constructed in the State of Uttarakhand.

इस सम्बन्ध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मा० न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा मार्ग का औचित्य मा० न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा० न्यायालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कावड़ मार्ग के संरेखण को जोड़ने हेतु कोई मार्ग वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

**बिन्दू संख्या-6-**The Committee will also ascertain the extent of environmental damage on account of construction of the road.

इस सम्बन्ध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कन्सलटेन्ट से तैयार करायी गयी इन्वायरमेन्ट इम्पैट एसेसमेन्ट रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है। इसकी शॉप्ट एवं हार्ड कापी समिति सदस्यों को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा इन्वायरमेन्ट एसेसमेन्ट रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है। समिति के संज्ञान में लाया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण डेमेज एसेसमेन्ट रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली को पुनः पत्र भेजकर उनकी आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी, मेरठ /

मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा  
गठित समिति में नामित कोर्डिनेट  
सदस्य।

**कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।**

पत्रांक 4433 /ओ०एस०डी०-कैम्प/2024 दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-

२)- नवम्बर,- 2024.

- 1- प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
- 2- निदेशक/उप निदेशक, फॉरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून।
- 3- साईन्टिस्ट "जी" वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी, मेरठ /

मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा  
गठित समिति में नामित कोर्डिनेट  
सदस्य।

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (प्र०),  
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी/  
मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा  
गठित समिति में नामित सदस्य,  
मेरठ।

पत्रांक 2070 / एस०टी०-ए०डी०एम०-इ / गा०बाद दिनांक 21 नवम्बर, 2024  
विषय :- मा० हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कांवड पटरी  
(दांयी) मार्ग से सम्बन्धित ओ०ए०-238/2024 में पारित आदेश दिनांक  
09-8-2024 के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में मा०  
न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व समिति की दिनांक 18-11-2024  
के क्रम में जनपद गाजियाबाद में गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण की  
आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय आदेश संख्या  
4427/ओ०एस०डी०-कैम्प/2024 दिनांक 18-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट  
करें, जिसके अन्तर्गत मा० हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या  
238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09-8-2024 के अनुपालन में दिनांक 18-11-2024  
को बैठक उपरान्त चौधरी चरण सिंह कांवड पटरी (दांयी) मार्ग पर पेडों के किये गये  
कटान के सम्बन्ध में जनपदीय समिति गठित करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक 01  
कि०मी० पर यह जांच की जाए कि कितनी चौड़ाई में पेडों का कटान किया गया है और  
वह कटान permissible 15/20 मीटर के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में  
संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 19-11-2024  
व 20-11-2024 को स्थलीय निरीक्षण में मौके पर पायी गयी स्थिति के अनुसार तैयार की  
गई संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय को सादर प्रेषित है।  
संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

RVS  
21/11/24  
(रणविजय सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्र०),  
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी (प्र०),  
गाजियाबाद।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कावड पटरी (दांयी) मार्ग से सम्बन्धित ओ0ए0-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में मा0 न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व समिति की दिनांक 18.11.2024 के क्रम में जनपद गाजियाबाद में गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण की आख्या :-

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या-4427 दिनांक 18.11.2024 के आदेश के क्रम में दिनांक 19.11.2024 एवं 20.11.2024 को निम्न अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।

1. श्री रणविजय सिंह, अपर जिलाअधिकारी (प्र0), गाजियाबाद।
2. डा. सलोनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद।
3. श्री सुधीर कुमार, खण्ड विकास अधिकारी मुरादनगर, गाजियाबाद।
4. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर, गाजियाबाद।
5. श्री गोपाल पात्रा, वरिष्ठ टेक्निकल ऐसोसिएट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून।

दिनांक 19.11.2024 एवं 20.11.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण की आख्या निम्न प्रकार है :-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 31.05.2024 (Original Application No. 238/2024) के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि पेड़ों के पातन का कार्य 15.00 मी0 चौड़ाई में ही कराया जायेगा, जबकि भारत सरकार से पेड़ों के पातन कार्य की अनुमति 20.00 मी0 चौड़ाई में ली गयी थी। उक्त निरीक्षण में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत 12.35 किमी0 आते हैं जिसमें 3.20 किमी0 लम्बाई में 20 मी0 चौड़ाई एवं 5.40 किमी0 लम्बाई में 15 मी0 चौड़ाई के अनुरूप यह जांच कर पाया गया की किये गये पेड़ों का पातन permissible 15/20 मीटर के अन्तर्गत हुआ है किसी भी स्थान पर अनुमति से ज्यादा पेड़ों का पातन नहीं हुआ है। वर्तमान में 3.75 किमी0 लम्बाई में अभी पातन का कार्य नहीं हुआ है।

जांच आख्या


अपर गंग नहर की दांयी पटरी जो जनपद गाजियाबाद की जनपद सीमा में है के विभिन्न किमी0/मील पर नपाई की गयी/आख्या निम्नवत है :-

Handwritten signatures and initials, including 'S.D.O. Gzb'.

• प्रथम किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 94 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी0 की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 19.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है। शेष 1.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।



क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	152	मील - 94	28.884262 77.526494, 28.884232 77.526567	19.00 मी०	वृक्षों का पातन 20 मी० के अनुरूप किया गया है



• द्वितीय किलोमीटर पर

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 94 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 18.50 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है। शेष 1.50 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	153	मील - 94	28.875608 77.524745, 28.875608 77.524745,	18.50 मी०	वृक्षों का पातन 20 मी० के अनुरूप किया गया है



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
S.D.O  
Cah.

• तृतीय किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 95 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 20.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	154	मील-95	28.866923 77.522844, 28.86691 77.522842	20.00 मी०	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है



• चतुर्थ किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 95 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 18.50 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 1.50 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	155	मील-95	28.858335 77.520918, 28.858336 77.520916	18.50 मी०	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है



• सप्तम किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 97 स्थल पर जन सामान्य के रागक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्ग (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 14.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 6.00 मीटर चौड़ाई में पेड सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेडों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	158	मील-97	28.832247 77.516106, 28.83234 77.516058	14.00 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया गया है



• अष्टम किलोमीटर पर

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या- 97 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्ग (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 14.50 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 5.50 मीटर चौड़ाई में पेड सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेडों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	159	मील-98	28.82328 77.515929 28.823263 77.516012	14.50 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया गया है




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Subu S.P.O. Crb.' and other illegible marks.

• नवम किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 98 स्थल पर जन सामान्य के रागक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोडकर 20 मी0 की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिरामें 15.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 5.00 मीटर चौड़ाई में पेड सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेडों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	160	मील-98	28.813644 77.516001 28.813604 77.516041	15.00 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया गया है



• दशम किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 98 स्थल पर जन सामान्य के रागक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोडकर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 15.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 5.00 मीटर चौड़ाई में पेड सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेडों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	161	मील-98	28.804767 77.516081 28.804791 77.515939	15.00 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया जा रहा था जिरा एन०जी०टी० के आदेशानुसार पेडों के पातन का कार्य रोक दिया गया है।



Sharma

Sharma

S. D. O. Char.

• एकादश किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांभी पटरी मील संख्या - 99 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 15.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है। शेष 5.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	162	मील-99	28.797891 77.516059 28.797846 77.516024	15.00 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया जा रहा था जिसे एन०जी०टी० के आदेशानुसार पेड़ों के पातन का कार्य रोक दिया गया है।



• द्वादश किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांभी पटरी मील संख्या - 99 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें वृक्षों का चिन्हीकरण का कार्य किया गया है, पातन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। 20 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	163	मील-99	28.787427 77.516657 28.797846 77.516024	—	वृक्षों का पातन नहीं किया गया है, वृक्षों का चिन्हीकरण 15 मी० के अन्दर किया गया है।



glal

—



2020

Sah.  
S.D.O.  
Gaz

• त्रयोदश किलोमीटर पर :-

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 100 स्थल पर जन सामान्य के रामक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें वृक्षों का चिन्हीकरण का कार्य किया गया है, पातन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। 20 मीटर चौड़ाई में पेड सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंगित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेडों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	164.350	मील-100	28.787427 77.516657 28.797846 77.516024	—	वृक्षों का पातन नहीं किया गया है, वृक्षों का चिन्हीकरण 15 मी० के अन्दर किया गया है।



निष्कर्ष

उपरोक्त स्थलीय निरीक्षण से स्पष्ट है कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत अपर गंग नहर की दांयी पटरी चैनेज 151.050 से 163.400 (12.350 किमी०) में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी अनुमति के अन्तर्गत ही पातन किया गया है तथा वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा वृक्षों का पातन राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिये गये प्रतिबद्धता के अनुसार किया गया है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

*glat*  
21.11.24

(गोपाल पात्रा)  
वरिष्ठ टेक्निकल एसोसिएट  
भारतीय वन सर्वेक्षण  
देहरादून

*(शैलेन्द्र कुमार सिंह)*

(शैलेन्द्र कुमार सिंह) 21/11/24  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
मुरादनगर

*(सुधीर कुमार)*

(सुधीर कुमार)  
खण्ड विकास अधिकारी  
मुरादनगर गाजियाबाद

*Saban*  
20/11/24

(अप सलोनी)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
साठवा० प्रभाग गाजियाबाद


*RVS*  
20/11/24

(रणविजय सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (प्र०)  
गाजियाबाद।

• **पंचम किलोमीटर पर :-**

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 00 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 14.50 मीटर के अन्तर्गत पतन किया गया है, शेष 5.50 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।


क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	156	मील-96	28.85003 77.518928 28.850048 77.518937	14.50 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया गया है



• **षष्ठम किलोमीटर पर :-**

अपर गंग नहर की दांयी पटरी मील संख्या - 96 स्थल पर जन सामान्य के समक्ष समिति द्वारा फीता डालकर जांच की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थल नहर के बर्म (डोला) से 7.50 मीटर छोड़कर 20 मी० की चौड़ाई में वृक्षों के पातन की अनुमति थी, जिसमें 15.00 मीटर के अन्तर्गत पातन किया गया है, शेष 5.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ सुरक्षित हैं। विवरण निम्नवत तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	कि०मी०	मील संख्या	GPS रीडिंग	कितने मीटर चौड़ाई में पेड़ों का पातन किया गया है	वृक्षों का पातन 15-20 मी० के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	157	मील-96	28.841166 77.516995 28.841214 77.516982	15.00 मी०	वृक्षों का पातन 15 मी० के अनुरूप किया गया है



प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/  
मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा  
गठित समिति में नामित सदस्य  
मेरठ।

पत्रांक 905 /एस०टी०-ए०डी०एम०-ई०/मेरठ दिनांक 21 नवम्बर 2024.  
विषय:-मा० हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी (दांयी) मार्ग  
में सम्बन्धित ओ०ए०-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के सम्बन्ध में  
गठित समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में मा० न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व  
समिति की दिनांक 18.11.2024 के क्रम में जनपद मेरठ में गठित समिति की स्थलीय  
निरीक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय आदेश संख्या 4427/ओ०एस०डी०-  
कैम्प/2024 दिनांक 18.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा०  
हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए०-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.  
2024 के अनुपालन में दिनांक 18.11.2024 को बैठक उपरान्त चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी  
(दांयी) मार्ग पर पेड़ों के किये गये कटान के सम्बन्ध में जनपदीय समिति गठित करते हुये  
निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक 01 कि०मी० पर यह जाँच की जाए कि कितनी चौड़ाई में पेड़ों  
का कटान किया गया है और यह कटान permissible 15/20 मीटर के अनुरूप किया गया है  
अथवा नहीं, के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जाएं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 20.11.2024 को  
स्थलीय निरीक्षण में मौके पर पायी गयी स्थिति के अनुसार तैयार की गई संयुक्त हस्ताक्षरित  
आख्या मूल रूप में संलग्न कर महोदय को सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(बलराम सिंह)  
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मेरठ।

# 1935

मा० हरित न्यायधिकरण नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी(दांयी) मार्ग से सम्बन्धित ओ०ए० 238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के सम्बन्ध में गठित समिति की वर्चुअल बैठक दिनांक 18.11.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ के कार्यालय आदेश संख्या-4427 दिनांक 18.11.2024 द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 20.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण आख्या:-

- 1- श्री बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मेरठ।
- 2- सुश्री अंशु चावला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ।
- 3- श्री पंकज कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, जानीखुर्द।
- 4- श्री ब्रहमपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, राखना।
- 5- श्री गोपाल पात्रा, वरिष्ठ तकनीकी एसोसिएट, फौरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया देहरादून।

जिलाधिकारी मेरठ के कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 18.11.2024 में निर्देश दिये गये थे कि गठित समिति द्वारा पातन किये गये क्षेत्र के प्रत्येक 01 कि०मी० पर यह जाँच की जाए कि कितनी चौड़ाई में पेड़ों का कटान किया गया है।

### जाँच आख्या

अपर गंग नहर की दांयी पटरी जो जनपद मेरठ की जनपद सीमा में है, के प्रत्येक 01 कि०मी० पर की गयी नपाई सम्बन्धी आख्या निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कि०मी०(चैनेज)	वृक्षों / पौधों के पातन की चौड़ाई (दूरी मीटर में)	वृक्षों / पौधों के पातन 15-20 मी० की चौड़ाई के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं	GPS फोटोग्राफ्स
1	2	3	4	5
1	151.850	14.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
2	150.065	14.20	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
3	149.400	12.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
4	146.440	13.10	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
5	130.550	15.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
6	129.800	15.40	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
7	128.765	15.70	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
8	127.665	15.60	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
9	126.830	18.40	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
10	125.990	15.80	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
11	124.850	16.50	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
12	124.100	18.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
13	123.200	19.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
14	122.110	18.50	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
15	121.374	13.80	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
16	120.495	14.20	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
17	119.468	14.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
18	118.220	16.50	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
19	117.400	17.20	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
20	116.640	15.90	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है

Geopal Patra  
20.11.24

4

Dr. Sanjiv Kumar  
136

Sanjiv Kumar

N

21	115.650	15.60	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
22	114.858	16.60	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
23	113.662	17.20	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
24	112.655	17.80	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
25	111.447	12.40	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
26	110.650	13.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
27	109.950	18.20	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है
28	108.900	19.00	पातन/कटान permissible 15/20 मी० के अनुरूप है	फोटो संलग्न है

उक्त निरीक्षण में जनपद मेरठ के अन्तर्गत 42.300 कि०मी० आते हैं जिसमें 28.00 कि०मी० की लम्बाई में पातन का कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। पातन किये गये 28.00 कि०मी० के प्रत्येक 01 कि०मी० में जाँच की गयी तथा अनुमन्य (permissible) 15/20 मीटर चौड़ाई से अधिक में पातन कार्य नहीं पाया गया तथा वर्तमान में 14.300 कि०मी० लम्बाई में अभी पातन का कार्य नहीं हुआ है।

दिनांक- 20.11.2024


*Gopal Paha*  
20.11.24  
(गोपाल पात्रा)  
वरिष्ठ तकनीकी  
एसोसिएट, फौरैस्ट सर्वे  
आफ इण्डिया देहरादून

*M. 20/11/2024*  
(ब्रहमपाल सिंह)  
खण्ड विकास अधिकारी,  
सरधना।


*P. 20/11/24*  
(पंकज कुमार)  
खण्ड विकास अधिकारी,  
जानीखुर्द

*A. 20/11/24*  
(अशु चावला)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मेरठ

*M. 20/11/24*  
(बलराम सिंह)  
अपर जिलाधिकारी  
(प्रशासन)मेरठ।



Siwal Khas, Uttar Pradesh, India  
 Wghp+w65, Mohiuddinpur Siwal Khas Rd, Siwal Khas, Nagla Kumbha,  
 Uttar Pradesh 250501, India  
 Lat 28.930806° Long 77.537088°  
 20/11/24 12:53 PM GMT +05:30



सिवल खास, उत्तर प्रदेश, भारत  
 Wghp+w65, मोहिउद्दिनपुर सिवल खास मार्ग, सिवल खास, नागला कुंभा, उत्तर  
 प्रदेश 250501, भारत  
 Lat 28.93087° Long 77.537002°  
 20/11/24 12:53 PM GMT +05:30


1938




GPS Map Camera




Bhalsona, Uttar Pradesh, India  
Bhalsona Rd, Bhalsona, Uttar Pradesh 250341, India  
Lat 29.07161° Long 77.595265°  
20/11/24 01:53 PM GMT +05:30





GPS Map Camera





Bhalsona, Uttar Pradesh, India  
3h8r+2rr, Upper Ganga Canal Rd, Bhalsona, Uttar Pradesh 250341, India  
Lat 29.066211° Long 77.592235°  
20/11/24 01:47 PM GMT +05:30
























 GPS Map Camera

Mohammadpur Mafi, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Mohammadpur Mafi, Uttar Pradesh 250223, India  
Lat 29.239123°  
Long 77.686786°  
20/11/24 04:24 PM GMT +05:30

Google





मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत  
1, अपर गंगा कनाल मार्ग, उत्तर प्रदेश 250501, भारत  
Lat 28.898917° Long 77.529956°  
20/11/24 12:24 PM GMT +05:30

GPS Map Center

# ANNEXURE 03

DFD/OSD

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी मेरठ/  
मा0 एन0जी0टी0

न्यायालय द्वारा गठित समिति में नामित सदस्य

पत्रांक:- 334 /2024 ST (E)

दिनांक:- 22.11.2024

विषय:- मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली वर्चुअल बैठक में दिये गये निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने कार्यालय आदेश संख्या 4427/ओ0एस0डी0/कैम्प/2024 दिनांक 18.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कावड पटरी(दाया) मार्ग से संबंधित ओ0ए0-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के संबंध में गठित समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, समिति की दिनांक 18.11.2024 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपदवार समिति गठित की जाए, जिनके द्वारा प्रत्येक 01 कि०मी० पर यह जांच की जाए कि कितनी चौड़ाई में पेड़ों का कटान किया गया है और वह कटान Permissible 15/20 मीटर के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं? उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के क्रम में दिनांक 21.11.2024 व 22.11.2024 को जनपदीय गठित समिति द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(नरेन्द्र महादुर सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुजफ्फरनगर।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त:-

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुजफ्फरनगर।

जांच आख्या

मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह कॉवड पटरी (दांयी) मार्ग से संबंधित ओ0ए0 238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के संबंध में गठित समिति की वर्चुअल बैठक दिनांक 18.11.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ के कार्यालय आदेश संख्या: 4427/ओ0एस0डी0-कैम्प/2024 दिनांक 18.11.2024 के अन्तर्गत गठित समिति एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्रांक 328/ओ0एस0डी0, दिनांक 19.11.2024 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न अधिकारियों के द्वारा दिनांक 21.11.2024 एवं दिनांक 22.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रयुक्त Measure Tape (कुल 50मी0) को स्थलीय निरीक्षण उपरांत दिनांक 22.11.2024 को निम्नलिखित टीम के समक्ष सील किया गया।

- 1-श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुजफ्फरनगर।
- 2-श्रीमती निकिता शर्मा, उप जिलाधिकारी, सदर मुजफ्फरनगर।
- 3-श्रीमती मोनालिसा जौहरी, उप जिलाधिकारी खतौली, मुजफ्फरनगर।
- 4-श्री राजकुमार भारती, उप जिलाधिकारी/अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खतौली।
- 5-श्री राकेश चन्द्र यादव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 6-श्री गोपाल पात्रा, वरिष्ठ टेक्निकल एसोसिएट, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
- 7-श्री अक्सीर अहमद खान, खण्ड विकास अधिकारी-सदर/मोरना।
- 8-श्री प्रमोद कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी-पुरकाजी।
- 9-श्री विशाखा, खण्ड विकास अधिकारी-खतौली।
- 10-श्री अरविन्द कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, जानसठ।

जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक: 328/ओ0एस0डी0 दिनांक 19.11.2024 में निर्देश दिये गये हैं कि गठित समिति द्वारा पातन किये गये क्षेत्र के प्रत्येक 01 कि0मी0 पर यह जांच की जाए कि कितनी चौड़ाई में पेड़ों का कटान किया गया है।

जांच आख्या:-

उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-11 के पत्रांक: 372/2020/182(आ)/2311-2020-1/2(203)/2019 लखनऊ दिनांक 23.12.2020 एवं उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-64/2024/1/508905/2024/23-11099(099)/266/2023 दिनांक 29.02.2024 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कॉवड मार्ग (गंग नहर की दायी पटरी) कुल लम्बाई 111.490 कि0मी0 नव निर्माण हेतु स्वीकृत हुई है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में 56.840 कि0मी0 का क्षेत्र आता है।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पत्रांक 1027/मु0अ0गंगा/एन0ओ0सी0 दिनांक 23.01.2021 के बिन्द-4 में उल्लिखित किया गया है कि "लेपित मार्ग का निर्माण नहर के दांयी पटरी के डोले का स्लोप 1.5:1 रखते हुए डोले की टो से 7.00 मीटर न्यूनतम क्लीयर दूरी छोड़ते हुए किये जाये। अपर गंग नहर (कॉवड मार्ग) की दांयी पटरी जो जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में है, के प्रत्येक 01 कि0मी0 पर की गई नपाई संबंधी आख्या निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	Latitude	Longitude	वृक्षों / पौधों के पातन की चौड़ाई (दूरी मीटर में)	GPS फोटोग्राफ्स
01	29.69741667	77.86195833	17 मीटर	फोटो सॅलग्न है
02	29.68909167	77.86501389	16 मीटर	फोटो सॅलग्न है
03	29.680993	77.866657	19.3 मीटर	फोटो सॅलग्न है
04	29.671127	77.868184	16 मीटर	फोटो सॅलग्न है
05	29.663173	77.869534	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
06	29.654358	77.870757	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है

lyeta

Rhand

R

R

R

R

R

R

07	29.645558	77.872479	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
08	29.636724	77.873663	19 मीटर	फोटो सॅलग्न है
09	29.627797	77.875097	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
10	29.617978	77.876876	19 मीटर	फोटो सॅलग्न है
11	29.608556	77.878398	17 मीटर	फोटो सॅलग्न है
12	29.599993	77.879884	16 मीटर	फोटो सॅलग्न है
13	29.590961	77.88135	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
14	29.581268	77.882434	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
15	29.572991	77.882724	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
16	29.564493	77.882032	15 मीटर	फोटो सॅलग्न है
17	29.560488	77.881934	17 मीटर	फोटो सॅलग्न है
18	29.55177	77.880998	18 मीटर	फोटो सॅलग्न है
19	29.541785	77.880003	18 मीटर	फोटो सॅलग्न है
20	29.538454	77.879054	17 मीटर	फोटो सॅलग्न है
21	29.527234	77.878606	19 मीटर	फोटो सॅलग्न है
22	29.513448	77.877307	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
23	29.505408	77.876493	15 मीटर	फोटो सॅलग्न है
24	29.491621	77.875851	17.5 मीटर	फोटो सॅलग्न है
25	29.488135	77.865134	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
26	29.477531	77.873106	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
27	29.477533	77.873104	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
28	29.460403	77.868737	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
29	29.45244	77.865497	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
30	29.434437	77.857146	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
31	29.430798	77.85906	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
32	29.420206	77.846606	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
33	29.414547	77.841381	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
34	29.403446	77.825828	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
35	29.40198056	77.83018333	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
36	29.406979	77.834673	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
37	29.406946	77.834661	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
38	29.399857	77.82802	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
39	29.392397	77.821744	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
40	29.385316	77.81541	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
41	29.38429	77.814454	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
42	29.366849	77.798823	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
43	29.366838	77.798803	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
44	29.36067	77.793006	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
45	29.360408	77.792666	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
46	29.343943	77.778182	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
47	29.3379	77.772526	15.5 मीटर	फोटो सॅलग्न है
48	29.330409	77.766241	16 मीटर	फोटो सॅलग्न है
49	29.323476	77.759619	18 मीटर	फोटो सॅलग्न है
50	29.319918	77.756488	16.5 मीटर	फोटो सॅलग्न है
51	29.312829	77.750227	17 मीटर	फोटो सॅलग्न है
52	29.306372	77.7214437	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है
53	29.294507	77.733943	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है

gk

Rhonda


R


Q


Shri  
B.S.  
Purohit

↓

54	29.274583	77.716208	19 मीटर	फोटो सॅलग्न है
55	29.29125	77.730916	15.5 मीटर	फोटो सॅलग्न है
56	29.282132	77.731376	20 मीटर	फोटो सॅलग्न है
57	29.75632	77.7426	20 मीटर	फोटो सॅलग्न है
58	29.268867	77.71115	18 मीटर	फोटो सॅलग्न है
59	29.262162	77.705144	15 मीटर	फोटो सॅलग्न है
60	29.256407	77.699798	18 मीटर	फोटो सॅलग्न है
61	29.248689	77.69333	वर्तमान में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है।	फोटो सॅलग्न है

  
22.11.24  
(गोपाल पात्रा)  
तकनीकी, एसोसिएट  
फौरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया  
देहरादून।


  
22.11.24.  
(राकेश चन्द्र यादव)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
शिवालिक वन प्रभाग  
सहारनपुर।


  
(अकसीर अहमद खान)  
खण्ड विकास अधिकारी  
सदर/मोरना।


  
(प्रमोद कुमार वर्मा)  
खण्ड विकास अधिकारी  
पुरकाजी।

  
(सुश्री विशाखा)  
खण्ड विकास अधिकारी,  
खतौली।

  
(अरविन्द कुमार वर्मा)  
खण्ड विकास अधिकारी  
जानसठ।


  
22.11.24  
(राजकुमार भारती)  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद  
खतौली।

  
22.11.24  
(निकिता शर्मा)  
उप जिलाधिकारी  
सदर।

  
22/11/24  
(मोनालिसा जोहरी)  
उप जिलाधिकारी खतौली  
मुजफ्फरनगर।

  
22/11/24  
(नरेन्द्र बहादुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुजफ्फरनगर।


LATITUDE → 29.54741667  
LONGITUDE → 77.86195833



LATITUDE → 29.68909167  
LONGITUDE → 77.86501309



3





4



5




6



1958




9



10

1959



11

GPS Map Camera  
 Bahlolpur, Uttar Pradesh, India  
 Upper Ganga Canal Rd, Bahlolpur, Uttar Pradesh 251310, India  
 Lat 29.608556°  
 Long 77.878398°  
 21/11/24 01:22 PM GMT +05:30



12

GPS Map Camera  
 Bahlolpur, Uttar Pradesh, India  
 Upper Ganga Canal Rd, Bahlolpur, Uttar Pradesh 251310, India  
 Lat 29.599993°  
 Long 77.879884°  
 21/11/24 01:45 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

Basera, Uttar Pradesh, India  
 Bhainsrheri - Basera Rd, Basera, Uttar Pradesh 251310, India  
 Lat 29.590961°  
 Long 77.88135°  
 21/11/24 02:24 PM GMT +05:30

Google

13



GPS Map Camera

Doheli, Uttar Pradesh, India  
 Upper Ganga Canal Rd, Doheli, Uttar Pradesh 251310, India  
 Lat 29.581268°  
 Long 77.882434°  
 21/11/24 02:33 PM GMT +05:30

Google

14






17



18



19




20

1964




21




Raipur, Uttar Pradesh, India  
 Upper Ganga Canal Rd, Raipur, Uttar Pradesh 251308, India  
 Lat 29.527234°  
 Long 77.878606°  
 21/11/24 03:33 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera



22




Raipur, Uttar Pradesh, India  
 GV7H+2J6, Raipur, Uttar Pradesh 251308, India  
 Lat 29.513448°  
 Long 77.877307°  
 21/11/24 03:49 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera



23



24

966



GPS Map Camera

Bhera Thru, Uttar Pradesh, India  
 FVR7+5VM, Bhera Thru, Bahera Guru, Uttar Pradesh 251308, India  
 Lat 29.488135°  
 Long 77.865134°  
 21/11/24 04:22 PM GMT +05:30

Google

25



GPS Map Camera

Bhopa, Uttar Pradesh, India  
 FVGC+MMG, Bhopa Rd, Bhopa, Uttar Pradesh 251308, India  
 Lat 29.477531°  
 Long 77.873106°  
 21/11/24 04:26 PM GMT +05:30

Google

26




27

Bhopa, Uttar Pradesh, India  
FVGC+MMG, Bhopa Rd, Bhopa, Uttar Pradesh 251308, India  
Lat 29.477533°  
Long 77.873104°  
21/11/24 04:30 PM GMT +05:30


28



Nagla Buzurg, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Nagla Buzurg, Uttar Pradesh 251308, India  
Lat 29.460403°  
Long 77.868737°  
21/11/24 04:37 PM GMT +05:30




29

Google  Nagla Buzurg, Uttar Pradesh, India  
FV39+3CM, Nagla Buzurg, Uttar Pradesh 251308, India  
Lat 29.45244°  
Long 77.865497°  
21/11/24 04:43 PM GMT +05:30



30

Google  Nagla Buzurg, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Nagla Buzurg, Uttar Pradesh 251308, India  
Lat 29.434437°  
Long 77.857146°  
21/11/24 05:03 PM GMT +05:30

1969




35



36



37




Katka, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Katka, Uttar Pradesh 251314, India  
Lat 29.399857°  
Long 77.82802°  
22/11/24 10:01 AM GMT +05:30

GPS Map Camera



38



Katka, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Katka, Dahkheri, Uttar Pradesh 251314, India  
Lat 29.406979°  
Long 77.834673°  
22/11/24 09:53 AM GMT +05:30

GPS Map Camera



31

Jauli, Uttar Pradesh, India  
CVH5+RMQ, Jauli, Uttar Pradesh 251308, India  
Lat 29.430798°  
Long 77.85906°  
21/11/24 04:58 PM GMT +05:30




32

Katka, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Katka, Uttar Pradesh 251314, India  
Lat 29.420206°  
Long 77.846606°  
21/11/24 05:30 PM GMT +05:30



33



Katka, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Katka, Uttar Pradesh 251314, India  
Lat 29.414547°  
Long 77.841381°  
21/11/24 05:44 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



34



Dahkheri, Uttar Pradesh, India  
CR3F+74, Dahkheri, Uttar Pradesh 251314, India  
Lat 29.403446°  
Long 77.825828°  
21/11/24 05:55 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



39




40



41



42






45



46



47



48



49



50



51



52



53



55

1981



54



56



57




58

Google

GPS Map Camera

Khatauli Rural, Uttar Pradesh, India  
Upper Ganga Canal Rd, Khatauli Rural, Uttar  
Pradesh 251201, India  
Lat 29.268867° Long 77.711155°  
22/11/24 03:26 PM GMT +05:30




59

Google

GPS Map Camera

Lahora, Uttar Pradesh, India  
7p74+92], Lahora, Uttar Pradesh 251201, India  
Lat 29.262162° Long 77.705144°  
22/11/24 03:40 PM GMT +05:30



60



61



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

E-mail- cdpwdmeerut@gmail.com



पत्रांक:- 1847/कांवड नहर पटरी (दांयी)/एन0जी0टी0

दिनांक:- 14/11/2024

सेवा में,

## ANNEXURE 04

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ।

विषय:- चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग दांयी पटरी मार्ग निर्माण के सम्बन्धमें।  
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2036/14-1 दिनांक 13.11.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-



बिन्दु सं0-1	Tree Enumeration with respect to Tree Protection Act 1976.	वन विभाग से सम्बन्धित है।
बिन्दु सं0-2	No. of Tree/sapling to be cut	<p>जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में कांवड मार्ग दांयी पटरी निर्माण हेतु वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मार्ग संरक्षण (20 मीटर चौड़ाई) में आ रहे बाधक वृक्षों/पौधों की गणना के उपरान्त फरवरी 2021 में परिवेश पोर्टल पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन किया गया। जिसके क्रम में कुल 112722 वृक्ष/पौधों के पातन हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या-08बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930 दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से अनुमति प्रदान की गयी है, जिसमें 0 से 30 सेमी0 Girth के कुल 78946 एवं 30 सेमी0 Girth से अधिक कुल 33776 वृक्ष है। वर्तमान में वन विभाग द्वारा वृक्षों का छपान कर लॉट वन निगम को प्रेषित किये गये है।</p> <p>उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-3249/81-2-2022-172जी0/2014टी0सी0-1 दिनांक 11.11.2023 जिसमें उल्लेख किया गया है कि "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग तथा भारतीय रेल की ही भाती, लो0नि0वि0, उ0प्र0 की विभिन्न परियोजना में बाधक वृक्षों के कटान का कार्य सम्बन्धित परियोक्ता एजेन्सी को इस प्रतिबन्ध के अधीन दिया जाता है कि वृक्षों के कटान से सम्बन्धित कार्य उ0प्र0 वन निगम की देख-रेख में किया जायेगा" जिसमें अभी तक 25412 वृक्षों का छपान के सापेक्ष मार्ग संरक्षण में आ रहे 17607 वृक्ष का पातन वन निगम की देख-रेख में किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व गणना के अनुसार मार्ग संरक्षण में आने वाले पौधों का पातन का कार्य भी वन निगम की देख-रेख में किया गया है।</p> <p>वर्तमान में कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार 15 से 20 मीटर चौड़ाई में बाधक वृक्ष/पौधों का पातन किया गया है।</p> <p>मार्ग निर्माण में अवशेष बाधक वृक्ष/पौधों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 09.8.2024 से लोक निर्माण विभाग द्वारा पातन का कार्य नहीं किया गया है। जिस कारण बाधक अवशेष वृक्षों का लॉट वन विभाग द्वारा वन निगम को प्रेषित नहीं किया गया है। वास्तविक वृक्षों/पौधों के पातन की संख्या कुल 112722 वृक्ष/पौधों की संख्या के अन्तर्गत रहेगी।</p>

क्रमश:-2

o/c

बिन्दु सं०-3	Statement of trees cut beyond 15/20 Meters & if yes, person Responsible.	चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग दांयी पटरी के नवनिर्माण कार्य में बाधक वृक्षों का पातन वन निगम की देख-रेख 20 मी० की अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही कराया गया है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
-----------------	---	--

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,  
मुजफ्फरनगर।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
मेरठ।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०,  
गाजियाबाद।  


1283

# ANNEXURE 05



Phone: 011 257666  
Email id: [infrastructure@uppih.in](mailto:infrastructure@uppih.in)

द्वितीय कर्मचारी  
सावर प्रवेश प्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड,  
फाउंड - टी.सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम मेरठ-200110 (उ.प्र.)

संज्ञा सं. 592/G/OA-238/2024

दिनांक: 12.09.2024

हेतु में

जिलाधिकारी महोदय  
मेरठ।

संदर्भ माओ द्वारा अतिरिक्त व्यावसायिकरण नई दिल्ली द्वारा जोएफ़ो 238/2022 में पारित आवेदन दिनांक 09.09.2024 के अ-प्रमाण में मंडित जाय समिति द्वारा नीचरी प्ररण सिद्ध कर्मचारी मार्ग दीगी पटरी निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में जाचित सूचना।

महोदय

कृपया उपरोक्त नियमक अपने पत्रक 4288/जोएफ़ो/टी.सी-3/2024 दिनांक 09.09.2024 संदर्भ प्ररण करने का कर्तव्य करे। तदन्तर्ग में माओ द्वारा अतिरिक्त व्यावसायिकरण नई दिल्ली द्वारा जोएफ़ो 238/2022 में पारित आवेदन दिनांक 09.09.2024 के अन्तर्ग में आख्या सलन कर जाविम जागरणक कर्मचारी हेतु सावर प्रेषित है।

सलनक उपरोक्तानुसार

भयवीर्य

(सुतन प्रवर्तक महोदय)

द्वितीय अधिकारी

प्रकीर्ति

1. सावर्य समिति महोदय, उपप्रप्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड, सलनक को सूचनाएँ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (जुत-3), उपप्रप्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड, सलनक को सूचनाएँ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रशासी), उपप्रप्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड, सलनक को सूचनाएँ प्रेषित।

द्वितीय अधिकारी

Report desired by the Joint Committee formed by Hon'ble NGT in the matter O.A. No. 23B/2024.

In reference to the above evident report has been asked by District Magistrate, Meerut/Joint committee member vide letter no 4258/OSD-Camp/2024 dt.09.09.2024 on the following point-

"The committee will also ascertain the extent of environmental damage on account of construction of the road."

Respective information regarding the project namely Choudhary Charan Singh Kawad Marg (Right Track of Gang Nahar) has been provided by the office of the Executive Engineer, Construction Division, Meerut. Facts of the project are as below:-

- Administrative and Financial approval has been issued by Govt. of U.P. vide letter No. 372/2020/182(अन)/23-11-2020-1/2(203)/2019 dt.23.12.2020 of Public Works Department.

It is mentioned in condition no 9 of the approval that it will be the sole responsibility of the department/working organization to achieve the legal NOCs and Environmental Clearance from competent level regarding the Project as per Law.

As per information available this project is not termed as highway project and hence does not require Environmental Clearance. Also as per CPCB classification of industries and other sectors, this ODR (Other district road) project is exempted from obtaining Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under Water and Air Acts. However no any correspondence has been made by working organization under the provisions of Air and Water Act to UP Pollution Control Board.

- Conditional permission for the felling of trees at the project sites has been issued by MoEF&CC, GOI, Integrated Regional Office, Lucknow vide letter no. 813/UP/06/221/2021/FC/930 dt.28.02.2023.

Office of the Divisional Forest Officer, Ghaziabad vide letter dt.31.01.2024, Office of the Divisional Forest Officer, Meerut vide letter dt.24.01.2024 & Office of the Divisional Forest Officer, Muzaffarnagar vide letter dt.27.01.2024 has issued conditional permission for the respective district in context to the above.

BA

- It is intimated by PWD office, Meerut that the work on the site has been started from dt.09.03.2024 & expected date of completion of the work is dt.08.08.2025 (18 months duration).

Total length of the road is 111.4km in which 12.35km stretch falls in Ghazabad district, 42.30km stretch falls in Meerut district & 56.84km stretch falls in Muzaffarnagar district.

- Details of tree felling in the above districts are under the supervision of Forest department (copy attached).
- Tree Felling and earth work activity has been started initially which is incomplete presently.
- No any Environment Impact Assessment (EIA) study/report has been prepared regarding this project before commencement of the work by PWD or by any expert agency engaged by PWD.

Extent of Environmental damage on account of construction of the road.

- General Framework for imposing Environmental Damage Compensation is published by CPCB in December 2022 which will be applicable in the present case. Assessment of Environmental Damage Compensation involves detail investigation & study for the same. It would be appropriate to involve CPCB & other Authority like UP State Environment Impact Assessment Authority (UPSEIAA) or Expert appraisal committee (EAC) of MoEF&CC as an expert member in the required assessment.
- However the questioned area of project falls under NCR region for which Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) constituted under Commission for Air Quality Management in National Capital Region Adjoining Areas Act, 2021 for better co-ordination research, identification and resolution of problems surrounding the air quality index and for matters connected there with or incidental thereto has issued direction no. 24 (vide letter no. 110012/08/2020/CAQM-RD/425-427 dt.11.06.2021) for setting up of a "Dust Control & Management Cell" by Road Owning/maintaining/construction agencies for monitoring and effective implementation of dust control measures in the National Capital Region. In this regard the working organization did not follow the direction.

Further Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) vide letter no. 18015/01/2022-MERD/3277-97 dt.06.02.2024 has issued Standards Schedule for Environmental

PL

Compensation (I/C) charges in Closure Directions issued by the Commission.

It is observed that neither Dust Control & Management Cell has been setup by PWD nor the dust mitigation measures has been provided as self audit on web portal of UPPCB for Construction & Demolition activities.

In the light of above facts and circumstances Regional Office, UPPCB is in position to advice for Environmental Compensation Charges for the violation of dust mitigation issued by directions of CAQM.

It is informed by PWD that work has been started on dt.09.02.2024 & work has been stopped on dt.09.08.2024. Since the work has been carried out for 183days. As per the CAQM standards schedule environmental compensation may be imposed as per calculation below.

Construction & Demolition Projects / Activities (violation of provision 1, 2, 4)

1. Non-registration on the web portal of the concerned SPCB

Rs. 2,00,000 for projects with total area construction >20,000sq.mtr.

2. Self-audit reports not uploaded on the web portal and / or video fencing of the project boundary not being carried out

Rs. 40,000 for projects with total area construction >20,000 sq. mtr.

4. Ineffective dust mitigation measures (with respect to provision of wind brakers / dust screens / covering of construction materials and debris etc.).

Rs. 15,000 for plot area >500 sq. mtr. per day

Hence total I/C = 2,00,000+40,000+15000×183= 29,85,000/-

Therefore in compliance of the instructions dt.09.09.2024 it is advised that I/C of Rs. 29,85,000/- for the violation of dust mitigation provisions may be imposed & CPCB/UPSE/IAA/EAC may be involved in the environmental damage assessment as desired by Hon'ble NGT in the matter.

BY  
2/9/24  
(Bhuvan Prakash Yadav)  
Regional Officer  
UPPCB

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी Environmental Impact Assesment रिपोर्ट के दिये गये Mitigation Measures/पर्यावरणीय सुधार/अतिरिक्त वृक्षारोपण आदि के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर



अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0

गाजियाबाद



अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

मेरठ

1992

Phone :- 0121-2577676

Email id :- [romeerut@uppcb.in](mailto:romeerut@uppcb.in)



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 957/61/कावास भाग/मRT/2024/CA238/2024 दिनांक-17-12-24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
मेरठ।

मा0एनजीटी प्रकरण

विषय:- मा0एनजीटी में योजित ओ0ए0संख्या-238/2024 में पारित आदेश दिनांक-25/11/2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-4481/ओ0एस0डी0-कैम्प/2024 दिनांक-13/12/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में मा0एनजीटी में योजित ओ0ए0संख्या-238/2024 में पारित आदेश दिनांक-25/11/2024 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 15(iv) के संबंध में लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार की गयी ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 रिपोर्ट के आधार पर आख्या पत्र के साथ संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार (ई-मेलद्वारा)

भवदीय

*BP Yadav*

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*व/क*

Report in respect of point no.15(iv) of Hon'ble NGT order dt. 25/11/2024 passed in OA No 238 of 2024 regarding Environmental Impact Assessment(EIA) on account of road construction-

A- That in compliance of order dt 25.11.2024, it was advised that EC of Rs. 29,85,000/-for the violation of dust mitigation provisions may be imposed & CPCB/UPSEIAA/EAC may be involved for environmental damage assessment as desired by Hon'ble NGT in the matter.

B-That Hon'ble NGT has further passed order dt.25.11.2024 in the said matter. The relevant para 15(iv) is read as under-

*"No environmental impact assessment on account of road construction particularlywith reference to maintain integrity of biodiversity/terrestrial ecology is disclosed."*

It is opined that the construction of the highway project may have led to significant environmental damages, compounded by both the direct pollution generated during construction activities and the aforesaid impacts of tree cutting. These include the loss of carbon sequestration, biodiversity impacts, soil erosion, and an increase in urban heat. Together, these factors underscore the critical need for a Environmental Impact Assessment (EIA) and the implementation of robust Environmental Management Plan (EMP) to mitigate these adverse effects.

Although the project not being covered under EIA notification,2006, the road construction agency i.e. Public Works Department (PWD), Govt. of Uttar Pradesh engaged environmental consultant "Center for Envotech & Management Consultancy Pvt. Ltd." for **Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan** for Construction of Choudhary Charan Singh Kavard Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Ch. 51.910 Km to Ch.163.400 Km in DistrictsMuzaffarNagar, Meerut and Ghaziabad in the state of Uttar Pradesh (Total Length = 111.490 Km). The **EIA/EMP** report of September 2024 is annexed herewith.

The EIA report has elaborated in its chapter 3.10 about biological environment, ecology and biodiversity, flora/vegetation study wildlife habitats and tree cutting.


That as per **FINDINGS & CONCLUSION** of EIA/EMP report for the said project, it is stated as below-

The EIA report for this proposed road has been prepared after thorough interaction with the project proponent PWD, Muzaffarnagar, Meerut and Ghaziabad so that the negative impacts on the environment and human population could be avoided as far as possible. Some of the important findings of the study are as follows: -

1. The loss to bio-diversity is reversible as no rare plant or animal species are going to be affected by the present project.
2. The proposed alignment is not passing through any Wildlife Sanctuary or National Park or its eco sensitive zone.
3. The proposed project road requires diversion of 222.98 ha of protected forest land. Forest Clearance proposal No. FP/UP/ROAD/121197/2021 for 222.98 Ha of Land is submitted; Approval is granted in Meeting of Regional Empowered Committee, REC (MoEF&CC) on 20th February 2023.
4. Any Protected archaeological site/monuments by the Archaeological Survey of India (ASI) are not falling within the ROW of proposed project road.
5. The most important factors, which need continuous attention and assessment during the construction phase, are the ambient air quality, the water quality and the noise level. The ambient air quality of the study area is good. A noise level in the area is also below the limit.
6. Total 112722 nos. of trees/plants to be affected in the proposed project out of which 16873 nos. of trees/plants in Muzaffarnagar district, 66685 nos. of trees/plants in Meerut district and remaining 29164 nos. of trees/plants in Ghaziabad district. 484720 saplings will be planted in the districts/forest divisions other than the project and 21028 saplings will plant in the Meerut district/forest division around the project, i.e. a total of 505748 plants will be planted and their 10 years annual maintenance work will be completed by the Forest Department.
7. Additional 50000 nos. of sapling plantation is proposed to be planted (especially in Muzaffarnagar and Ghaziabad districts) along the project road to maintain the ecological balance of the project road.
8. PWD has already deposited Rs. 28,60,03,304 to the forest department for Compensatory afforestation planation nearby projects site of Meerut, Muzaffarnagar & Ghaziabad, Compensatory Afforestation paid by PWD to UP Forest Department in UP CAMPA Fund and Additional Compensatory Afforestation in form of Artificial Natural Regeneration (ANR) in district Lalitpur.
9. In addition to the above cost, an additional amount of Rs. 3,90,00,000 (Three crores Ninety Lakhs only) has been proposed as environmental protection measures during the balance work of construction and 5 years post construction which is to be implemented by the PWD from the third party."

As the Forest Department clearance for felling of trees includes the Net Present Value (NPV) and compensatory afforestation which is comprising of services and ecological value of the forests, it is advised to implement the Environmental Management Plan to mitigate any kind of adverse effects.

Encl.-As above

  
(Bhuvan Prakash Yadav)  
Regional Officer  
UPPCB, Meerut

